

## Central Bank of India

1911 में आपके लिए "केन्द्रीय" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: पटेल नगर, गाजियाबाद, ३०१०

## कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV नियम 8(1) देखें

जबकि वित्तीय आस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर, गाजियाबाद शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 28/12/2023 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री जसवीर कुमार पुत्र मामचन्द एवं श्रीमती मुन्नी पत्नी जसवीर कुमार, गारंटर: श्री नीरज कुमार पुत्र राम पाल सिंह**, को सूचना में उल्लिखित राशि रु.7,54,498.02 (सात लाख चौवन हजार चार सौ अठानबे रुपये एवं शून्य दो पैसे मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

कर्जदारों के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदारों तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 16/07/2024 को ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.7,54,498.02 (सात लाख चौवन हजार चार सौ अठानबे रुपये एवं शून्य दो पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटेल नगर गाजियाबाद शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

## अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति बियरिंग मकान नं.314 के सभी भाग एवं हिस्से का न्यायसंगत बंधक, मोहल्ला माधोपुरा, गाजियाबाद, ३०१०। माप 95.00 वर्ग गज, जो धिरा है:

उत्तर: दूसरे की सम्पत्ति दक्षिण: दूसरे की सम्पत्ति  
पूर्व: उक्त सम्पत्ति का भाग पश्चिम: रास्ता

स्थान: गाजियाबाद, ३०१० (प्राधिकृत अधिकारी)  
तिथि: 16/07/2024 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

क्रिए। उसने कहा कि सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।



## THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED

Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah

Zafar Marg, New Delhi - 110002

Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943

Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458

Email: nationalheraldindia@gmail.com Website: www.nationalheraldindia.com

शेयरधारक कृपया नोट करें कि दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को सदस्यों की 86वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 24 अगस्त, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीजुअल माध्यम से होगी। कृपया नोट करें कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एएमसीए) द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और नवीनलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए 25/09/2023 (लागू परिपत्र) के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के सम्पादन के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यमों का उपयोग होगा।

लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट और सभी सल्लनकों के साथ बॉर्ड की रिपोर्ट) एवं अन्य सभी पत्राचार उन सदस्यों एवं इसके हकदार अन्य सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिमात्री (डीपी) के पास पंजीकृत हैं।

इसलिए, हमारा उन शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना फोलियो नम्बर/डीपी/क्लाइंट आईडी, सर्टिफिकेट नं., मोबाइल नं., ई-मेल आईडी के साथ पैन कार्ड/आधार कार्ड/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना ई-मेल पता और स्थायी खाता संख्या कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत कराएं। इसे पंजीकृत कराने की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है:

**भौतिक धारिता (फिजिकल शेयर होल्डिंग):** शेयरधारक अपना फोलियो नम्बर, पूरा पता, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज (जैसे इन्वॉइस लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति एवं पंजीकृत कराने वाले ई-मेल पते के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर इसे कंपनी को nationalheraldindia@gmail.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता और/या बैंक विवरण पंजीकृत करा सकते हैं।

**डिजिट धारिता (डिजिट होल्डिंग):** डिजिट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपना ई-मेल पता एवं बैंक विवरण के साथ अपना फोलियो नम्बर/डीपी/क्लाइंट आईडी, पूरा पता, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज (जैसे इन्वॉइस लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार) की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति एवं पंजीकृत कराने वाले ई-मेल पते के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर इसे कंपनी को nationalheraldindia@gmail.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता और/या बैंक विवरण पंजीकृत करा सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अपने डिजिट खाते, यदि कोई हो, में ई-मेल पते एवं बैंक विवरण के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीपी से संपर्क करें और बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

शेयरधारकों के पास एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने का अवसर होगा। डिजिटरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों के लिए रिमोटली वोट देने की प्रक्रिया शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाने वाली सूचना में दी जाएगी।

86वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों के अनुपालन में शेयरधारकों को उचित समय में उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाएगी।

## कृते दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड

हस्ता/-

पवन कुमार ब्रह्म

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

DIN: 09015697

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 18.07.2024

HINDUJA HOUSING FINANCE

## हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अना सलाई, सैरोपेट, वेनई-600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

एफ8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, महालक्ष्मी मेट्रो, वैशाली, गाजियाबाद-201010,

आरएलएम - आसुतोष कुमार, 9870363707, आरआरएम - अमित कौशिक, 9587088333, सीएलएम - सत्यम गुप्ता, 8006600745, सीआरएम - राशि मिश्रा - 9718025302

## सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित-राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत संपत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एतक की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख		बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण
		कब्जा सूचना की तिथि	सांकेतिक		
1	आवेदन नं. DL/DEL/DW/ND/A000000252 CO/CPC/CP/OF/A00000076 श्री महावीर सिंह और सुधी शर्मा, दोनों: मकान नं. 59, श्री राम एन्क्लेव, लाल कुआं, श्री राम धर्म कॉन्ट के पास, गाजियाबाद	04-04-2024	सांकेतिक	₹ 16,55,588/- दिनांक 07.03.2024 तक + ब्याज इत्यादि	निर्मित रिहायशी प्लॉट नं. 59, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज अर्थात् 62.70 वर्ग मी., खसरा नं. 3096 में से, श्री राम एन्क्लेव, गांव शाहपुर बेगम, परगना, बांसना, तहसील और जिला गाजियाबाद यू.पी. में स्थित, चौहद्दी: पूर्व में - प्लॉट नं. 48, पश्चिम में - 18 फीट चौड़ी रोड, उत्तर में - प्लॉट नं. 60, दक्षिण - प्लॉट नं. 57
		11-07-2024	सांकेतिक		
2	आवेदन नं. DL/DEL/DW/ND/A000000419 CO/CPC/CP/OF/A000001435 श्री वीनू और सुधी रानी, दोनों: मकान नं. 273 न्यू शिव मंदिर के पास चिपयाना बुजुर्ग गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009	04-04-2024	सांकेतिक	₹ 7,32,402/- दिनांक 10.03.2024 तक + ब्याज इत्यादि	प्लॉट नं. 23 खसरा नं. 376 गांव चिपयाना बुजुर्ग तहसील दादरी गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201009
		11-07-2024	सांकेतिक		
3	आवेदन नं. DL/RJP/RJ/PC/A000000021 श्री महेश सिंह सिसौदिया, श्री लक्ष्मी सिसौदिया और श्री दर्शन सिसौदिया, सभी: प्लॉट नं. 203, द्वितीय तल फ्रंट आरएचएस, प्लॉट नं. 586, अजंता पार्क, खोडा कॉलोनी,	20-11-2023	सांकेतिक	₹ 19,90,257/- + ब्याज इत्यादि	फ्लैट नं. 203, द्वितीय तल, बिना छत के अधिकांश के, प्लॉट नं. 5 और 6 का हिस्सा, क्षेत्रफल 80 वर्ग मी., खसरा नं. 32, मीनानी अपार्टमेंट, अजंता पार्क, खोडा कॉलोनी, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित
		13.07.2024	सांकेतिक		

## फॉर्म नं. आईएनई-26

[कंपनी] (निगम) नियम,

2014 के नियम 30 के अनुसार]

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामलों में,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4)

और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के

नियम 30(5) (ए) के मामलों में

और

## वैदिक नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड के

मामलों में जिसका पंजीकृत कार्यालय 3093

सेक्टर डी पॉकेट 3 वसंत कुंज नई दिल्ली

110070 में है के मामलों में

.....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के

तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव

करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को

"दिल्ली राज्य" से उत्तर प्रदेश राज्य में बदलने में

सक्षम बनाने के लिए 09 मार्च, 2024 को आयोजित

असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के

संदर्भ में कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में

परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय

के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने

के संभावना हो, तो वह अपने हित के प्रभाव से

संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृथक्पृथक को दर्शाते

हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति विवरित

करवाना या भेजना या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय

निदेशक, नई दिल्ली-110003 के पास इस

सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर

भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक

द्वारा आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पते पर

पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए। 3093

सेक्टर डी पॉकेट 3 वसंत कुंज नई दिल्ली 110070